राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 93/2013/झुंझुनूं.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–IV, चिड़ावा, झुंझुनूं. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शिव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, खेतड़ी, झुंझुनूं. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 94/2013/झुंझुनूं.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–IV, चिड़ावा, झुंझुनूं. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुभाष चन्द्र सैनी, कॉन्ट्रेक्टर, खेतड़ी, झुंझुनूं. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 96/2013/झुंझुनूं.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–IV, चिड़ावा, झुंझुनूं. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स स्वर्ण सिंह एण्ड कम्पनी, खेतड़ी, झुंझुनूं. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 229/आरवैट/झुंझुनूं/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.09.2012; अपील संख्या 200/आरवैट/झुंझुनूं/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.08.2012 एवं अपील संख्या 76/आरवैट/झुंझुनूं/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.06.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–IV, चिड़ावा, झुंझुनूं (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(3), 55 व 58 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 31.01.2011, 11.02.2011 व 31.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरणों को पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

लगातार.....2

2. तीनों अपीलों के तथ्य समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के दौरान ठेकेदार के रूप में संविदा कार्य निष्पादित किये गये हैं। व्यवहारीगण को राजकीय विभागों द्वारा विभिन्न कार्य आवंटित किये गये, जिनके निष्पादन हेतु कुछ माल अवार्डर विभाग द्वारा ही प्रत्यर्थीगण को सप्लाई किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण के कर निर्धारण आदेश संपूरित करते हुए यह अवधारित किया गया कि अवार्डर द्वारा दिया गया माल डीम्ड सेल की श्रेणी में आने से कर योग्य है, इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा निष्पादित कार्यों में वेट नियम, 2006 के नियम 22 के तहत प्रावधित अनुसार मजदूरी राशि को कम करते हुए शेष राशि का माल क्रय किया जाना एवं उक्त माल अपंजीकृत खरीद किया जाना अवधारित करते हुए 12.5/4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, साथ ही धारा 55 के तहत ब्याज का भी आरोपण किया गया। व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी। प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों में प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने के निर्देश सहित प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर विभाग द्वारा ये अपीलें पेश की गयी हैं।

4. बहस के दौरान विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश पूर्णतः विधिसम्मत हैं। व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। व्यवहारीगण द्वारा निष्पादित कार्य सिविल कार्य होने के कारण वेट नियम 22 के तहत निर्धारित दर अनुसार मजदूरी राशि को कम करते हुए शेष राशि की अपंजीकृत खरीद अवधारित करते हुए तद्नुसार करारोपण की कार्यवाही किये जाने में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने पत्रावलियों का समुचित अवलोकन किये बिना प्रत्यर्थीगण की अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ अपीलीय आदेशों को अपास्त कर राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने तौर पर अपंजीकृत खरीद अवधारित करते हुए करारोपण की कार्यवाही की गयी है, जिसे अपास्त करते हुए प्रकरणों में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरणों में पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों में कुछ माल उनके अवार्डर द्वारा संविदा के तहत बिना मूल्य सप्लाई किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डीम्ड सेल मानते हुए करारोपण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संविदा कार्यों में मजदूरी की राशि स्वविवेक से अनुमानित की गयी है तथा अवशेष राशि पर 12.5/4 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है, जिसका वर्गीकरण भी अनुमान के आधार पर ही किया गया है। पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे कि उनके द्वारा संविदा कार्यों में निष्पादित कार्यों में उपयोग में लिये गये माल बाबत् वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा सके। इसी प्रकार बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु भी प्रत्यर्थीगण को समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रकट नहीं होता है।

8. उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया जाकर, पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। फलतः अपीलीय आदेशों की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलीय आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जावें।

9. परिणामस्वरूप राजस्व की तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य